गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.09.2017 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.09.2017 को सायं 5:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो. अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्षा
2.	प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
3.	प्रो. अनुपमा सक्सेना	सदस्य
4.	प्रो. पी.के. बाजपेयी	सदस्य
5.	प्रो. विशन सिंह राठौड़	सदस्य
6.	प्रो. एम.के. सिंह	सदस्य
7.	डॉ. रेणु भट्ट	सदस्य
8.	डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
9.	डॉ. एस.एस. धुरिया	सदस्य
10.	डॉ. राकेश पाण्डेय	सदस्य
11.	प्रो. बी.एन. तिवारी, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.07.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.07.2017 के कार्यवृत्त की संपुष्टि निम्नानुसार संशोधन के साथ किया गया –

1. विषय क्रमांक 15 के अंतर्गत यह भी शामिल किया जाये कि "वर्तमान में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को भविष्य में किसी भी सेमेस्टर में आनर्स परिवर्तन की अनुमति प्रदान ना की जाये तथा शैक्षणिक सत्र 2018–19 से इस शर्त का दृढ़ता से पालन कराया जाये।"
2. विषय क्रमांक 16 के अंतर्गत यह भी शामिल किया जाये कि "विद्यापरिषद् के स्थायी समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शीर्षकं 'भारत नवोन्मेष' तथा विषयवस्तु का भी अनुमोदन किया गया।"

विषय क्र. 02 **सत्र 2015–16 में अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उपाधि प्रमाण पत्र जारी करने विषयक।**

स्थायी समिति ने सूचना ग्रहण की तथा कृत कार्यवाही की पुष्टि करते हुए यह निर्णय लिया गया कि किसी भी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के 6 माह उपरांत यदि कोई छात्र–छात्रा उपाधि प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है और तब तक दीक्षांत समारोह का आयोजन नहीं हुआ है या घोषणा नहीं किया गया है तो परीक्षा शाखा/उपाधि प्रकोष्ठ निर्धारित प्रक्रिया में उपाधि जारी करा सकता है।

विषय क्र. 03 **अनुसंधान सहयोग के लिए सहकारिता समझौता ज्ञापन।**

स्थायी समिति समिति ने यह निर्णय लिया कि अनुसंधान समझौता संबंधी प्रस्तावों के विचार हेतु एवं MoU/समझौते की प्रक्रिया निर्धारित करने एक नीति की आवश्यकता है। अतः इस कार्य के लिए विनियम प्रारूपित करने हेतु समिति बनाई जाये।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि ऐसी समिति के गठन हेतु सदस्यों के नाम नामित किये जाने कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी तथा नीति निर्धारित होने तक ऐसे समझौतों पर कार्यवाही लंबित रखा जाये।

विषय क्र. 04 **CBCS प्रणाली से उत्तीर्ण छात्रों की प्रावीण्य सूची घोषित करने विषयक।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रावीण्यता सूची के निर्धारण हेतु पूर्व प्रचलित प्रावधानों के अनुसार प्राप्तांक को आधार माना जाये।

तथापि यदि अध्यादेश/विनियमों/प्रावधानों में उक्त से परे कोई प्रावधान अंकित हो तो परीक्षा शाखा/गोपनीय शाखा यथोचित परीक्षण प्रभावी प्रावधानों के अनुसार प्रावीण्यता सूची का निर्माण करें।

विषय क्र. 05 **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (CSPGCL) रायपुर के मध्य हुए MoU की जानकारी सूचनार्थ बाबत।**

स्थायी समिति ने MoU किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

विषय क्र. 06 **अध्ययनमण्डल प्राणीशास्त्र विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन की पुष्टि पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने अध्ययन मण्डल प्राणीशास्त्र विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया।

विषय क्र. 07 **अध्ययनमण्डल जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन की पुष्टि पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने अध्ययन मण्डल जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया।

विषय क्र. 08 **निदेशक प्रौद्योगिकी संस्थान के पद की स्थिति की समीक्षा हेतु गठित समिति के कार्यवृत्त पर विचार संबंधी।**

स्थायी समिति ने समीक्षा समिति के कार्यवृत्त दिनांक 11.08.2017 का अनुमोदन किया तथा समिति की अनुशंसाओं को मान्य किये जाने का निर्णय लिया।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि "प्रौद्योगिकी संस्थान" का नाम परिवर्तन कर अनुशंसानुसार "अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला" (School of Studies in Engineering and Technology) किया जाये तथा इसे अधिसूचित किया जाये।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि नाम परिवर्तन की सूचना AICTE तथा UGC को प्रेषित की जाये।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि निवर्तमान निदेशक के अधिकार में रखे दस्तावेजों /अभिलेखों /परिसंपत्तियों /सामग्रियों का हस्तांतरण अधिष्ठाता, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला को कराया जाये तथा वर्तमान निदेशक महोदय को कार्यालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत भारमुक्त किया जाये।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि निदेशक कक्ष के रूप में उपयोग में लाये जा रहे कक्ष को डॉ. शैलेन्द्र कुमार को कार्यालयीन कार्यों हेतु आबंटित किया जाये तथा निदेशक कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे कक्ष को विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग विभाग को आबंटित किया जाये एवं निदेशक कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार अन्य विभागों/स्थानों पर स्थानांतरित किया जाये।

Rom

विषय क्र. 09 **अध्ययनमण्डल गणित विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन की पुष्टि पर विचार करना।**

स्थायी ने अध्ययन मण्डल गणित विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया। समिति ने किसी भी प्रकार की टंकण त्रुटि के सुधार हेतु विभागाध्यक्ष को अधिकृत किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

अ.अ.वि.क्र 1 प्रौद्योगिकी संस्थान में कार्यरत शिक्षकों के अध्ययन अवकाश आवेदनों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया कि पूर्व में बनाये गये प्रावधानों का पुनर्विचार /परीक्षण कर नवीन प्रावधानों का प्रारूप प्रस्तुत करने हेतु समिति गठित की जाये। स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी।

अ.अ.वि.क्र 2 विश्वविद्यालय में शोधार्थियों एवं शोध कार्यों की वृद्धि हेतु नान–नेट फेलोशीप के लिए और अधिक राशि स्वीकृति कराये जाने हेतु यूजीसी को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये। साथ ही साथ बिना शोधवृत्ति के शोध छात्राओं को प्रवेश दिये जाने की अनुमति भी UGC से प्राप्त की जाये।

अ.अ.वि.क्र 3 विश्वविद्यालय के शिक्षकों को पीएच.डी. उपाधि धारित करने पर देय अग्रिम वेतनवृद्धि के संबंध में यूजीसी से पत्राचार किया जाये तथा ऐसे शिक्षक जिनकी शोध उपाधि विनियम 2009 या विनियम 2010 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नहीं है उनको अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान किया जाना है अथवा नहीं पर स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त कर लिया जाये।

अ.अ.वि.क्र 4 आगामी दीक्षांत समारोह के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी समिति यह निर्णय लेती है कि दीक्षांत समारोह से संबंधित किसी भी कार्य के लिए चाहे वह दीक्षांत वेशभूषा हो या अन्य कोई कार्य, निर्णय लेने की लिये समिति की ओर से माननीय कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**